अत्यावश्यक
स्मरण – पत्र

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक : एफ. 165(13)/पंरावि/एफ.एफ.सी./2015–16/ 17901-03 जयपुर,दिनांक: 04-08-2016

1. मुख्य/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त।
2. विकास अधिकारी,
पंचायत समिति, समस्त।

विषयः–चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को कार्य निष्पादन अनुदान (Performemce Grant) के संवितरण बाबत।

प्रसंगः–विभागीय पत्रांक एफ. 165(13)/पंरावि/एफ.एफ.सी./2015–16/9607 दि. 05.02.16, पत्रांक 9888–89 दिनांक 15.2.16, संयुक्त शासन सचिव (वित्त) आर्थिक मामलात विभाग का पत्र कमांक 3.3.16, विभागीय पत्रांक 14406 दि. 31.3.16, वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पत्रांक प.17(1)वित्त/अंकेक्षण/2013/पार्ट–II दि. 16.05.16 एवं 15622 दिनांक 03.06.2016.

विषयान्तर्गत लेख है कि चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशानुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 से (वर्ष 2015–16 के लिए) कार्य निष्पादन अनुदान केवल ग्राम पंचायतों को ही देने का प्रावधान किया गया है। कार्य निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायतों को निम्नलिखित पात्रता प्राप्त करनी होगीः–

1. **अंकेक्षित वार्षिक लेखें** :– कार्य निष्पादन अनुदानों की पात्रता पाने हेतु ग्राम पंचायतों को लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा प्रस्तुत करने होगे, जो कि उस वर्ष, जिसके लिए ग्राम पंचायत ने कार्य निष्पादन अनुदान का दावा प्रस्तुत किया है, से दो वर्ष पूर्व से अधिक समय से संबंधित नही होगें। ऐसा अंकेक्षण स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा किया जावेगा तथा अंकेक्षित खातों के प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित ग्राम पंचायत को निष्पादन अनुदान की 50 प्रतिशत राशि देय होगी।

2. **निजी आय वृद्वि** :–कार्य निष्पादन अनुदानों की पात्रता पाने हेतु ग्राम पंचायतों को पूववर्ती वर्ष की तुलना में अपनी निजी आय में वृद्धि भी करनी होगी और यह वृद्धि लेखा परीक्षित लेखाओं के माध्यम से स्थापित होनी चाहिए। पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत निजी में आय में वृद्धि होने पर संबंधित ग्राम पंचायत को निष्पादन अनुदान की 50 प्रतिशत राशि देय होगी।

14वां वित्त आयोग अन्तर्गत देय कार्य निष्पादन अनुदान के संबंध में विभाग के पूर्व पत्रांक 14406 दिनांक 31.3.16 के अन्तर्गत 31 जुलाई 2016 तक जिला परिषदों से कार्य निष्पादन अनुदान की पात्र ग्राम पंचायतों की सूचना अपेक्षित थी, परन्तु आदिनांक तक विभाग को अप्राप्त है, जो कि राजकीय कार्य की प्रति उदासीनता का धोतक है। अतः 14वां वित्त

FTL

आयोग अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 से कार्य निष्पादन अनुदान प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार सूचना पुनः वांछित है :–

i. कार्य निष्पादन अनुदान प्राप्त करने हेतु कोई भी ग्राम पंचायत अपने दावे के लिये स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा अंकेक्षित/प्रमाणित लेखों एवं निजी आय में 10 प्रतिशत की वृद्धि के प्रमाण के साथ संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी को *दिनांक 12.08.2016* तक आवेदन प्रस्तुत करेगी।

ii. कार्य निष्पादन अनुदान प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्तुत दावे के लिये स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा अंकेक्षित/प्रमाणित लेखों एवं निजी आय में 10 प्रतिशत की वृद्धि के प्रमाण की जांच संबंधित पंचायत समिति में पदस्थापित सहायक लेखा अधिकारी एवं विकास अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से की जावेगी। जांच के पश्चात सन्तुष्ट होने पर पंचायत समिति द्वारा संलग्न प्रपत्र–1 के अन्तर्गत कार्य निष्पादन अनुदान जारी करने हेतु संबंधित जिला परिषद को *दिनांक 22.08.2016* तक अनुशंसा प्रेषित की जावेगी।

iii. कार्य निष्पादन अनुदान प्राप्त करने हेतु ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्तुत दावे के लिये स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा अंकेक्षित/प्रमाणित लेखों एवं निजी आय में 10 प्रतिशत की वृद्धि के प्रमाण की जांच संबंधित पंचायत समिति के सहायक लेखा अधिकारी एवं विकास अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये जाने तथा पंचायत समिति से प्राप्त प्रपत्र–1 के अन्तर्गत कार्य निष्पादन अनुदान जारी करने की अनुशंसा के आधार पर जिला परिषद में पद स्थापित लेखाधिकारी /वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रपत्र–1 पर पूर्ण जांच उपरान्त संतुष्ट होने पर प्रतिहस्ताक्षर कर कार्य निष्पादन अनुदान जारी करने हेतु पंचायती राज विभाग को *दिनांक 31.08.2016* तक ईमेल (**rajpr_cao1@rediffmail.com**) पर अनुशंसा भेजेंगे तथा हार्डकॉपी भी विभाग को प्रेषित करेंगे।

iv. कार्य निष्पादन अनुदान हेतु अंकेक्षित प्रमाणित खातें एवं निजी आय में वृद्धि की शर्त पूरी ना करने पर या वित्तीय वर्ष में निर्धारित तिथि तक दावा प्रस्तुत नहीं करने पर ऐसी ग्राम पंचायत की निष्पादन अनुदान राशि जारी नहीं की जावेगी तथा यह राशि अन्य निष्पादन अनुदान की शर्त पूरी करने वाली ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित कर दी जावेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/ग्रामसेवक पदेन सचिव की होगी।

v. समस्त विकास अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि इस पत्र की प्रति अपनी अधीनस्थ समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंचगण/ग्रामसेवक पदेन सचिवगण को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे, ताकि समस्त ग्राम पंचायतें कार्य निष्पादन अनुदान का दावा समय रहते प्रस्तुत कर सके।

संलग्न :– प्रपत्र – 1

(आनन्द कुमार)
शासन सचिव एवं आयुक्त

17904-10
04-08-2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज ।
4. निजी सचिव, अध्यक्ष पंचम राज्य वित्त आयोग, बी ब्लॉक, चतुर्थ तल, वित्त भवन, जनपथ जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
7. एसीपी, पंचायती राज को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

4/8/2016

वित्तीय सलाहकार

FTL

प्रपत्र–1

(पंचायत समितियों द्वारा कार्य निष्पादन अनुदान के लिये जिला परिषदों को भेजे जाने वाला प्रमाण पत्र)

ग्राम पंचायतों के स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा अंकेक्षित/प्रमाणित लेखों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता हैं कि पंचायत समिति .... जिला ....की निम्नलिखित ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2015–16 का कार्य निष्पादन अनुदान जारी कर दिया जावें :–

क्र. सं.	जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	अंकेक्षित/प्रमाणित खातों के आधार पर देय अनुदान (0% या 50%)	निजी आय में 10% की आधार पर देय अनुदान (0% या 50%)	कुल देय कार्य निष्पादन अनुदान (0% या 50% या 100%)
1	2	3	4	5	6	7

सहायक लेखाधिकारी
पंचायत समिति ....

विकास अधिकारी
पंचायत समिति ....

कार्यालय जिला परिषद ....

ग्राम पंचायतों के स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा अंकेक्षित/प्रमाणित लेखों एवं पंचायत समितियों द्वारा प्रेषित प्रपत्र–1 के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता हैं कि जिला परिषद ....की उल्लेखित ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2015–16 का कार्य निष्पोदन अनुदान जारी कर दिया जावे।

लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी
जिला परिषद ....

अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद ....

FTL